संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक आईडीएसपी/2020/417

भोपाल, दिनांक 11.04.2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
2. संचालक, एम्स भोपाल मध्यप्रदेश
3. समस्त अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज मध्यप्रदेश
4. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज मध्यप्रदेश
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश
6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश

विषय्य– **कोविड–19 के लैब जांच के मापदण्ड में आंशिक संशोधन के संबंध में**

संदर्भ– 1. सेम्पल कलेक्शन – आईडीएसपी/2020/100 दिनांक 10.02.2020
2. सेम्पल कलेक्शन – आईडीएसपी/2020/308 दिनांक 28.03.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से पूर्व में कोविड–19 की लैब जांचों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए ICMR, Dept. of Health Research (Strategy for COVID 19 testing in India (Version 4, dated 09/04/2020) अनुसार निम्नानुसार व्यक्तियों की लैब जांच की जाना सुनिश्चित करें–

1. विगत 14 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले सभी लक्षण वाले व्यक्ति
2. लैब में पुष्टि किये गये प्रकरणों (confirmed cases) के समस्त लक्षण वाले कांटेक्ट
3. समस्त लक्षण वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता
4. गंभीर सांस की बीमारी (बुखार एवं कफ तथा/अथवा सांस की तकलीफ) वाले समस्त रोगी
5- पुष्टि किये गये प्रकरणों (confirmed cases) के संपर्क में आने वाले प्रत्यक्ष एवं उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों का संपर्क में आने के दिन 5 और दिन 14 के बीच एक बार परीक्षण किया जाना चाहिए। hotspots/cluster तथा large migration gatherings/ evacuees centres में भी टेस्टिंग की जाए।
6. समस्त सिमटोमेटिक आईएलआई (बुखार, कफ, गले में खराश एवं बहती नाक)–
   - बीमारी के 7 दिनों के भीतर– rRT-PCR
   - बीमारी के 7 दिनों के बाद– Antibody test (if negative, confirmed by rRT-PCR)

उक्त निर्देशों का पालन तत्काल सुनिश्ति किया जाए।

संलग्न– **Indian Council of Medical Research, Dept. of Health Research- Strategy for COVID 19 testing in India (Version 4, dated 09/04/2020)**

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

पृ.क्र. आईडीएसपी/2020/418
प्रतिलिपि–

भोपाल, दिनांक 11.04.2020

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं प.क. विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं प.क. विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश
5. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश
7. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश
8. संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।

आयुक्त,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

Scanned with CamScanner

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

Strategy for COVID19 testing in India (Version 4, dated 09/04/2020)

1. All symptomatic individuals who have undertaken international travel in the last 14 days
2. All symptomatic contacts of laboratory confirmed cases
3. All symptomatic health care workers
4. All patients with Severe Acute Respiratory Illness (fever AND cough and/or shortness of breath)
5. Asymptomatic direct and high-risk contacts of a confirmed case should be tested once between day 5 and day 14 of coming in his/her contact

In hotspots/cluster (as per MoHFW) and in large migration gatherings/ evacuees centres

6. All symptomatic ILI (fever, cough, sore throat, runny nose)
   a. Within 7 days of illness – rRT-PCR
   b. After 7 days of illness – Antibody test (If negative, confirmed by rRT-PCR)

Scanned with CamScanner

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 308

भोपाल, दिनांक 28/03/2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषय :– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी की जांच के लिए सेम्पल भेजने के संबंध में।
संदर्भ :–संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं का पत्र क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 268, दिनांकः–23.03.2020

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि वर्तमान परिदृश्य में देश व राज्य में नोवल कोरोना वायरस बीमारी के प्रकरणों में निरंतर वृद्धी हो रही है। प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की सूची भेजी गई है, जिसका तीव्रता से यात्रियों का ट्रेस (Trace) किया जाना तथा संभावित मरीजों का सेम्पल किया जाना आपेक्षित है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

- विदेशों से यात्रा करके आये ऐसे संक्रमित व्यक्ति, जिन्हें बुखार, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो।
- ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हो तथा उन्हें लक्षण उत्पन्न हो गए हो।
- सभी स्वास्थ्यकर्मी जिन्हें लक्षण उत्पन्न हो गए हो।
- अस्पताल में भर्ती सभी ऐसे मरीज जिन्हें गंभीर सांस की बीमारी, बुखार और खांसी अथवा / या सांस की तकलीफ हो।
- बगैर लक्षण तथा उच्च जोखिम वाले व्यक्ति जो संकमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में हो, उनका संपर्क के पांचवें दिन तथा चौदवें दिन के भीतर जांच के सेम्पल लिया जावे।

उक्त लक्षणों के आधार पर नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) बीमारी के जांच के लिए ज्यादा से ज्यादा सेम्पल वायरोलॉजी लेब भेजे जावे।

(डॉ.वीणा सिन्हा)
अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / [illegible]

भोपाल, दिनांक......................

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।

निरंतर......

Scanned with CamScanner

2. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
3. अतिरिक्त मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
5. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र :– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक को उपरोक्त कार्य हेतु निर्देशित करें।
6. समस्त क्षेत्रिय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
7. समस्त जिला सर्विलेंस अधिकारी, समस्त जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, समस्त प्रभारी जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट एवं समस्त जिला डेटा मैनेजर, म.प्र.।

अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

Scanned with CamScanner

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./20/100 भोपाल, दिनांक 10.02.2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषय :— नोवल कोरोना वायरस बीमारी के सेम्पल कलेक्शन, पैकेजिंग एवं ट्रांसपोर्ट के संबंध में दिशा—निर्देश।

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि हाल ही में चीन के हुबई राज्य के वुहान शहर में एक नए प्रकार का वायरस नोवल कोरोना वायरस—2019 (n-CoV) से न्यूमोनिया के प्रकरण पाए गए है। नोवल कोरोना वायरस बीमारी की रोकथाम एवं निगरानी हेतु संभावित मरीजों का सेम्पल कलेक्शन कर जांच किया जावेगा।

सेम्पल कलेक्शन के मापदंड :—

- दिनांक 15 जनवरी 2020 के बाद चीन के हुबई राज्य के वुहान से आने वाले सभी (Symptomatic & Asymptomatic) यात्रियों का सेम्पल कलेक्शन कर जांच की जावेगी।
- चीन के अन्य भागों से आने वाले यात्रियों में नोवल कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर सेम्पल कलेक्शन कर जांच किया जावेगा।

जिला अस्पताल के पेथौलॉजिस्ट/प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा नोवल कोरोना वायरस बीमारी के सेम्पल का कलेक्शन एवं पैकेजिंग (Triple layer-cold chain) किया जावेगा। जांच के लिए प्रत्येक यात्री का निम्नानुसार तीनों सेम्पल संग्रहित किया जावेगा :—

1- Nasopharyngeal swab in VTM Viral
2- Blood in EDTA vial (3 to 5 ml.)
3- Blood in plan vial (3 to 5 ml.)

सेम्पल कलेक्शन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से संबंधित VRDL - मेडिकल कॉलेज में सेम्पल ट्रांस्पोर्ट (Triple layer-cold chain maintain करते हुए) किये जावेंगे।

नोवल कोरोना वायरस 2019 (nCoV) बीमारी के सेम्पल कलेक्शन, ट्रांस्पोर्ट हेतु लिंक VRDL- मेडिकल कॉलेज एवं जिले						
AIIMS, Bhopal	**Bundelkhand Medical College, Sagar**	**NIRTH, Jabalpur**	**SS Medical College Rewa**	**Gajra Raja Medical College, Gwalior**	**MGM Medical College, Indore**	
Bhopal Division	**Sagar Division**	**Jabalpur Division**	**Rewa Division**	**Gwalior Division**	**Indore Division**	**Ujjain Division**
Betul	Chhatarpur	Balaghat	Anuppur	Ashoknagar	Barwani	Dewas
Bhopal	Damoh	Chhindwara	Rewa	Bhind	Burhanpur	Mandsaur
Harda	Panna	Dindori	Satna	Datia	Dhar	Neemuch
Hoshangabad	Sagar	Jabalpur	Shahdol	Guna	Indore	Ratlam
Raisen	Tikamgarh	Katni	Sidhi	Gwalior	Jhabua	Shajapur
Rajgarh		Mandla	Umaria	Morena	Khandwa	Ujjain
Sehore		Narsingpur	Singroli	Sheopur	Khargone	Agar
Vidisha		Seoni		Shivpuri	Alirajpur	

निरंतर...

Scanned with CamScanner

VRDL मेडिकल कॉलेज– अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल, बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर, श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर एवं महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर द्वारा विशेष चयनित कुरियर एजेंसी से सेम्पल NIV, Pune को भेजे जाऐंगे।

संलग्न :– 1. Sample collection, Packaging & transport guideline.
2. Specimen Referral Form.

(डॉ.वीणा सिन्हा)
अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./20/

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ। भोपाल, दिनांक......................

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
4. संचालक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, म.प्र.।
5. संचालक, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, म.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
7. अधिष्ठाता, श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा, म.प्र.।
8. अधिष्ठाता, बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर, म.प्र.।
9. अधिष्ठाता, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, म.प्र.।
10. अधिष्ठाता, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, म.प्र.।
11. डॉ. देबासीस बिश्वास, प्रौफेसर एंड हेड, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, एम्स भोपाल।
12. समस्त जिला सर्विलेंस अधिकारी/समस्त जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र.।

अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

Scanned with CamScanner